


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय गवालियर राजस्व मण्डल  
गवालियर (म0प्र0)

श्री डॉ. कृष्ण अधिकारी  
 दिनांक 24.2.15  
 दस्तावेज़ दिनांक 24.2.15



(43)

निम्नरान्ति 2369-II-15

1. पप्पू तनय स्व0 महादेव साकेत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
2. मुन्नालाल तनय स्व0 महादेव उम्र 38वर्ष पेशा खेती,  
दोनों निवासी ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील गोपद बनास जिला—सीधी  
(म0प्र0) ..... आवेदकगण

बनाम

1. लक्ष्मन तनय ददई चमार उम्र 47 वर्ष पेशा खेती,
2. मु0 सोनिया वेवा पत्नी छोटेलाल चमार उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
3. सुनील तनय स्व0 छोटेलाल चमार उम्र 14 वर्ष पेशा—विद्याध्ययन,
4. सरस्वती पुत्री स्व0 छोटेलाल उम्र 12 वर्ष पेशा विद्याध्ययन
5. गोलडी पुत्री स्व0 छोटेलाल साकेत उम्र 10 वर्ष, पेशा विद्याध्ययन,  
अनावेदक क्रमांक 3 ता 5 नावालिक जरिए बली संरक्षिका भाता सोप्रिया  
वेवा छोटेलाल चमार
6. फुलमन्ती पुत्री ददई चमार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य,
7. लीलावती पुत्री ददई चमार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य,
8. बुटनी पुत्री ददई चमार उम्र 38 वर्ष पेशा गृहकार्य,
9. बिटिया (लल्लू) पुत्री ददई चमार उम्र 40 वर्ष पेशा गृहकार्य,
10. जयमन्ती पुत्री ददई चमार उम्र 55 वर्ष पेशा गृहकार्य,
11. ददुली तनय रामदयाल चमार उम्र 75 वर्ष पेशा खेती,
12. मु0 चौरसिया वेवा महादेव चमार उम्र 80 वर्ष पेशा गृहकार्य,
13. नर्वदा तनय महादेव चमार उम्र 58 वर्ष पेशा खेती,
14. कैलाश तनय महादेव चमार उम्र 48 वर्ष पेशा खेती,
15. फक्कड़ दास साकेत तनय महादेव साकेत उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
16. छोटकड़ तनय स्व0 महादेव सकेत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,  
सभी निवासी ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)  
..... अनावेदकगण

डॉ. एस. चौहान  
एडवोकेट  
हाईकोर्ट म.प्र. रा.

पुनःरीक्षण विरुद्ध आदेश  
न्यायालय तहसीलदार महोदय  
गोपद बनास गिर्द— II  
के प्र. क्र. 06 अ 27/2012-13  
मे पारित अंतरिक्ष आदेश  
दिनांक 25.04.2015 | दंड 22-6-15  
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू—राजस्व संहिता 1959

आन्यवदः

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित पुनः रीक्षण प्रस्तुत हैः—

1. यह कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय गोपद बनास गिर्द—II के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 ता 10 के द्वारा ग्राम डडहवा तहसील गोपद

मुक्तजाल

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

(6)

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-३३६९ - दी १५

जिला - सीधी

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....त्रिलोकरु.....  <b>श्रीपरबताल</b> के प्रकरण क्रमांक .....6/अ-२७/।२०१३.... में पारित          आदेश दिनांक भ्र.८-५-१५.... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-          राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के          फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित          संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु          .....त्रिलोकरु.....सीधी..... को भेजा जाता है। उभयपक्ष          प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक....।८-१०-१९....को          .....त्रिलोकरु.....सीधी..... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> 